विज्ञापन सामग्री

विद्युत सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0

(उ0प्र0 सरकार का उपकम)

एस0एल0डी0सी0 परिसर (निकट मंत्री आवास)

विभूति खण्ड, फेज–2, गोमती नगर, लखनऊ–226010

–: आवश्यक सूचना :–

(विज्ञापन सं0 1/विसेआ/2016)

उ०प्र० पावर कॉरपोरेशन लि० के अन्तर्गत आरक्षित बैकलाग भर्ती–2007 के शेष रिक्त पदों, सीधी भर्ती के श्रेणीवार पदों एवं विभागीय कार्मिकों से प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती से चयन हेतु निर्धारित अर्हता रखने वाले भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु दिनांक 18.03.2016 को विभिन्न समाचार पत्रों में संक्षिप्त विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी थी तद्नुसार दिनांक 22.03.2016 को विस्तृत विज्ञापन सं0 1/विसेआ/2016 विभागीय वेबसाइट www.uppcl.org पर अपलोड किया गया था। विज्ञापन के अनुसार अभ्यर्थियों से दिनांक 05.04.2016 से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किया जाना अपरिहार्य कारणों से सम्भव नहीं हो पा रहा है। अतः अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि दिनांक 05.04.2016 से 05.05.2016 के स्थान पर निम्नवत् पढी जाये। विज्ञापन की अन्य शर्ते यथावत् रहेंगी।

महत्वपूर्ण तिथियाँ

विवरण	तिथि
ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने एवं आवेदन शुल्क जमा की तिथियाँ	02-05-2016 से 02-06-2016

सचिव

विद्युत सेवा आयोग

नोटः– उक्त लाइन के नीचे का मैटर न छापें।

पत्रांकः 388/विसेआ/1–विसेआ–2016/ दिनांक अप्रैल 04, 2016

Secretary,

Electricity Service Commission

U.P.P.C L., Lucknow

विद्युत सेवा आयोग

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लि०,
एस०एल०डी०सी०परिसर(निकट मंत्री आवास),
विभूति खण्ड,फेज़–2, गोमती नगर
लखनऊ–226010

(विज्ञापन सं० 1–विसेआ / 2016 / बैकलॉग भर्ती,विभागीय भर्ती एवं सामान्य भर्ती)

उ०प्र० पावर कॉरपोरेशन लि० के अधीन शेष रह गये श्रेणीवार रिक्त बैकलॉग पदों, सामान्य एवं विभागीय कार्मिकों से सीधी भर्ती के माध्यम से रिक्त पदों पर चयन हेतु उ०प्र०पावर कॉरपोरेशन से प्राप्त अधियाचन के अनुपालन में प्रतियोगितात्मक परीक्षा के द्वारा निर्धारित अर्हता रखने वाले भारतीय नागरिकों से आवेदन **ऑनलाइन माध्यम** के द्वारा आमंत्रित हैं। **अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा।**

(क) बैकलॉग भर्ती के अन्तर्गत श्रेणीवार रिक्तियाँ

क्रम सं०	पद कोड	पदनाम	कुल रिक्त पदों की संख्या	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	वेतनमान	
							वेतनमान	ग्रेड–पे
1	24	आशुलिपिक (श्रेणी–3) STENOGRAPHER-(GRADE- III)	15	01	12	02	5200-20200	2600
2	25	अपर निजी सचिव (ADDITIONAL PRIVATE SECRETARY)	02	शून्य	02	शून्य	9300-34800	4800
3	26	कार्यालय सहायक (श्रेणी–3) OFFICE ASSISTANT-(GRADE- III)	11	शून्य	शून्य	11	5200-20200	2600
4	27	कार्यालय सहायक(श्रेणी–3)लेखा OFFICE ASSISTANT-(GRADE- III) ACCOUNTS	03	शून्य	03	शून्य	5200-20200	2600

(ख) सामान्य सीधी भर्ती के अन्तर्गत श्रेणीवार रिक्तियाँ

क्रम सं०	पद कोड	पदनाम	अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	वेतनमान	
							वेतनमान	ग्रेड–पे
1	16	सहायक समीक्षा अधिकारी (ASSISTANT REVIEWING OFFICER)	45	21	08	शून्य	9300-34800	4200
2	25	अपर निजी सचिव (ADDITIONAL PRIVATE SECRETARY)	11	05	01	शून्य	9300-34800	4800

(ग)विभागीय आशुलिपिकों से अपर निजी सचिव के पद पर श्रेणीवार रिक्तियाँ

क्रम सं०	पद कोड	पदनाम	अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	वेतनमान	
							वेतनमान	ग्रेड–पे
1	25D	अपर निजी सचिव (ADDITIONAL PRIVATE SECRETARY)	04	01	01	शून्य	9300-34800	4800

(घ) विभागीय कर्मचारियों से सहायक लेखाकार के पद पर श्रेणीवार रिक्तियाँ

क्रम सं०	पद कोड	पदनाम	अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	वेतनमान	
							वेतनमान	ग्रेड–पे
1	21D	सहायक लेखाकार (विभागीय) (ASSISSTANT ACCOUNTANT)	35	19	14	01	5200-20200	3000

उपरिवर्णित सभी पदों हेतु लिखित परीक्षा यथासम्भव एक ही दिन एक निर्धारित समय पर साथ–साथ सम्पन्न करायी जायेगी। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पदों हेतु अर्हता रखता है, तो भी वह स्वेच्छानुसार एक ही पद हेतु आवेदन करे। इन रिक्तियों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाने एवं बढ़ाने का अधिकार उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन लि0 के पास सुरक्षित है। चयनित अभ्यर्थियों की संख्या कम होने की स्थिति में चयन बैकलाग रिक्तियों के विरूद्ध पहले किया जायेगा ।

सभी पदों हेतु सामान्य अर्हतायें

(i)	राष्ट्रीयता	सेवा मे किसी पद पर सीधी भर्ती हेतु यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :–

विद्युत सेवा आयोग 2016 उ०प्र० पावर कॉरपोरेशन लि०

		(क) भारत का नागरिक हो, या (ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या (ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा(म्याँमार), श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगाण्डा और यूनाईटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया(पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीवार) से प्रव्रजन (Migrate) किया हो: प्रतिबन्ध यह है कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया जा चुका हो: प्रतिबन्ध यह भी है कि श्रेणी (ख) में आने वाले अभ्यर्थी को पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त करना होगा। अग्रिम प्रतिबन्ध यह भी है कि उपर्युक्त श्रेणी (ग) में आने वाले अभ्यर्थी को पात्रता प्रमाण पत्र में दी गई अवधि के पश्चात सेवा में नहीं रखा जायेगा जब तक उसने भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र न प्राप्त कर लिया हो।
(ii)	आयु	दिनांक 01.01.2016 को न्यूनतम –21 वर्ष दिनांक 01.01.2016 को अधिकतम –40 वर्ष (अधिकतम आयु सीमा का प्रतिबन्ध केवल ऐसे पदों के लिये लागू होगा जो वाह्य अभ्यर्थियों हेतु सीधी भर्ती कोटे के अन्तर्गत विद्युत सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित किये जायेंगे)
(iii)	चरित्र प्रमाण पत्र	(क) नियुक्ति प्राधिकारी का कर्तव्य होगा कि पुलिस के माध्यम से अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन करवा लें परन्तु किसी भी स्थिति में सत्यापन का कार्य परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद के लिये न छोड़ा जाये । सेवा के मध्य कभी भी पुलिस द्वारा अच्छे चरित्र के प्रतिकूल सूचित किया जाता है तो उसे निरन्तर सेवा में रहने की आज्ञा नहीं दी जायेगी तथा उसकी सेवायें बिना किसी नोटिस प्रतिकर अथवा वेतन के निरस्त कर दी जायेंगी। (ख) अभ्यर्थी को अन्तिम शिक्षा संस्थान/विश्वविद्यालय के प्रमुख द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। (ग) अभ्यर्थी जिस क्षेत्र का निवासी है उस क्षेत्र के दो ऐसे संभ्रान्त व्यक्तियों, जो अभ्यर्थी के सम्बन्धी न हों, से सतचरित्रता का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
(iv)	स्वस्थता प्रमाण पत्र	प्रत्येक अभ्यर्थी, जो प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्ति हेतु उपयुक्त पाये गये हों, को सेवा में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व मानसिक एवं शारीरिक स्वस्थता का प्रमाण पत्र जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा किसी ऐसे चिकित्सा अधिकारी, जिसे कारपोरेशन ने इसके लिए प्राधिकृत किया हो, से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
(v)	वैवाहिक स्थिति	सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसे पुरूष अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हों अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसके पहले से ही एक पत्नी हो, परन्तु यह कि निदेशक मण्डल ऐसे किसी अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं यदि यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

नोट–केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, केन्द्र तथा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन अथवा नियन्त्रणाधीन किसी प्राधिकरण, निगम या निकाय द्वारा सेवा से पदच्युत (Dismissed) व्यक्ति/अभ्यर्थी किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नही होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए आरोपित दोष सिद्ध व्यक्ति/अभ्यर्थी भी पात्र नही होंगे।

विद्युत सेवा आयोग उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन लि0 2016

पदवार अनिवार्य अर्हतायें एवं चयन प्रक्रिया

पदवार अनिवार्य अर्हतायें एवं चयन प्रक्रिया का विवरण निम्नवत् हैः–

(1) सहायक समीक्षा अधिकारी(पद कोड -16) :–

¤ **अनिवार्य अर्हता** : भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि।

¤ **चयन प्रक्रिया** :

(क) **लिखित परीक्षा** : लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र दो भागों का होगा।

प्रथम भाग :– प्रथम भाग की लिखित परीक्षा में DOEACC के "O" स्तर का कम्प्यूटर ज्ञान से सम्बन्धित एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 50 प्रश्न होंगे व प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा। अर्थात यह परीक्षा 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जायेगी।प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी को अर्ह न मानते हुये उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

द्वितीय भाग :– लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग में वस्तुनिष्ठ प्रकार के निम्नलिखित पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्र होगें, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जायेगी।

प्रश्न पत्र	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक
सामान्य अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान	50	50
सामान्य हिन्दी एवं व्याकरण(इण्टरमीडिएट स्तर)	50	50
सामान्य अंग्रेजी(इण्टरमीडिएट स्तर)	50	50
	कुल अंक	**150**

द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों के आधार पर ही टंकण परीक्षा में प्रतिभाग लेने हेतु अभ्यर्थियों की ''अनन्तिम सूची'' (Tentative List) तैयार की जायेगी, अर्थात ज्यादा अंक पाने वाला अभ्यर्थी अपने से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी से श्रेष्ठता सूची में ऊपर होगा। कम्प्यूटर ज्ञान के प्रश्न पत्र में अर्जित अंक श्रेष्ठता निर्धारण हेतु जोड़े नहीं जायेंगे। टंकण हेतु इस ''अनन्तिम सूची'' में अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग द्वारा रिक्त पदों के सापेक्ष किया जायेगा।

(ख) **टंकण परीक्षा** :– उपरोक्तानुसार तैयार की गयी ''अनन्तिम सूची'' के अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर पर 05 मिनट की **हिन्दी टंकण परीक्षा** में प्रतिभाग लेना होगा तथा इस टंकण परीक्षा में **न्यूनतम 40 शब्द प्रति मिनट की गति** प्राप्त न करने वाले अभ्यर्थियों का नाम ''अनन्तिम सूची'' से हटाते हुए जो सूची तैयार होगी, उसमें से रिक्तियों के आधार पर श्रेष्ठता क्रम में अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया जायेगा।

टिप्पणी –(1) वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रश्न–पत्रों का प्रारूप विद्युत सेवा आयोग द्वारा निर्धारित किया जायेगा। (2) लिखित परीक्षा में दो या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक पाने की स्थिति में, उस अभ्यर्थी का नाम ज्येष्ठता सूची में ऊपर रहेगा जिसकी उम्र अधिक होगी किन्तु अंक एवं उम्र दोनों के समान होने की स्थिति में टंकण परीक्षा मे अधिक गति प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी ज्येष्ठता सूची मे ऊपर रहेगा।

(2) आशुलिपिक (श्रेणी–3)(पद कोड –24) :–

¤ **अनिवार्य अर्हतायें** :(क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि।(ख) हिन्दी आशुलेखन में **न्यूनतम 60 शब्द प्रति मिनट** की गति अनिवार्य।(ग) कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में **न्यूनतम 40 शब्द प्रति मिनट की गति** अनिवार्य।

¤ **चयन प्रक्रिया** :

(क) **लिखित परीक्षा** :लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र दो भागों का होगा।

प्रथम भाग :– प्रथम भाग की लिखित परीक्षा में DOEACC के "O" स्तर का कम्प्यूटर ज्ञान से सम्बन्धित एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 50 प्रश्न होंगे व प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा। अर्थात यह परीक्षा 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जायेगी। प्रथम

विद्युत सेवा आयोग 2016

भाग की परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी को अर्ह न मानते हुये उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

द्वितीय भाग :—लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग में वस्तुनिष्ठ प्रकार के निम्नलिखित प्रश्न पत्र होगें, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जायेगी।

प्रश्न पत्र	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक
सामान्य अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान	50	50
सामान्य हिन्दी	50	50
सामान्य अंग्रेजी	50	50
	कुल अंक	150

द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों के आधार पर ही आशुलिपि(Shorthand)एवं टंकण(Typing) परीक्षा में प्रतिभाग लेने हेतु अभ्यर्थियों की "अनन्तिम सूची" (Tentative List) तैयार की जायेगी, अर्थात ज्यादा अंक पाने वाला अभ्यर्थी अपने से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी से श्रेष्ठता सूची में ऊपर होगा। कम्प्यूटर ज्ञान के प्रश्न पत्र में अर्जित अंक श्रेष्ठता निर्धारण हेतु जोड़े नहीं जायेंगे।आशुलिपि एवं टंकण हेतु इस "अनन्तिम सूची" में अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग द्वारा रिक्त पदों के सापेक्ष किया जायेगा।

(ख) टंकण परीक्षा :—उपरोक्तानुसार तैयार की गयी "अनन्तिम सूची" के अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर पर 05 मिनट की **हिन्दी टंकण** परीक्षा में प्रतिभाग लेना होगा तथा इस टंकण परीक्षा में **न्यूनतम 40 शब्द प्रति मिनट की गति** प्राप्त न करने वाले अभ्यर्थियों का नाम "अनन्तिम सूची" से हटा दिया जायेगा।

(ग) आशुलिपि परीक्षा :—आशुलिपि हिन्दी में 60 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य।

नोट :— हिन्दी आशुलेखन मे 60 शब्द प्रति मिनट या इससे अधिक की गति प्राप्त करने वाले तथा हिन्दी टंकण में 40 शब्द प्रति मिनट या इससे अधिक की गति प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ही चयन के पात्र होगें।

टिप्पणी :—(1) वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रश्न—पत्रों का प्रारूप विद्युत सेवा आयोग द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
(2) लिखित परीक्षा में दो या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक पाने की स्थिति में, उस अभ्यर्थी का नाम ज्येष्ठता सूची में ऊपर रहेगा जिसकी उम्र अधिक होगी किन्तु अंक एवं उम्र दोनों के समान होने की स्थिति में टंकण परीक्षा मे अधिक गति प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी ज्येष्ठता सूची मे ऊपर रहेगा।

(3)- अपर निजी सचिव (पद कोड –25) :–

¤ **अनिवार्य अर्हतायें** :(क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि।

¤ **चयन प्रक्रिया** :

(क) लिखित परीक्षा : लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र दो भागों का होगा।

प्रथम भाग :– प्रथम भाग की लिखित परीक्षा में DOAECC के "O" स्तर का कम्प्यूटर ज्ञान से सम्बन्धित एक प्रश्न पत्र होगा जिसमे वस्तुनिष्ठ प्रकार के 50 प्रश्न होगें व प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा।अर्थात यह परीक्षा 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जायेगी।प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी को अर्ह न मानते हुये उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

द्वितीय भाग :—लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग मे वस्तुनिष्ठ प्रकार के निम्नलिखित प्रश्न पत्र होगें जिसमें प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जायेगी। द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों के आधार पर ही आशुलिपि(Shorthand) एवं

प्रश्न पत्र	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक
सामान्य अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान	50	50
सामान्य हिन्दी एवं व्याकरण(इण्टरमीडिएट स्तर)	50	50
सामान्य अंग्रेजी(इण्टरमीडिएट स्तर)	50	50
	कुल अंक	150

टंकण(Typing) परीक्षा में प्रतिभाग लेने हेतु अभ्यर्थियों की "अनन्तिम सूची" (Tentative List) तैयार की

विद्युत सेवा आयोग 2016

जायेगी, अर्थात ज्यादा अंक पाने वाला अभ्यर्थी अपने से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी से श्रेष्ठता सूची में ऊपर होगा। कम्प्यूटर ज्ञान के प्रश्न पत्र में अर्जित अंक श्रेष्ठता निर्धारण हेतु जोड़े नहीं जायेंगे।

आशुलेखन एवं टंकण परीक्षा हेतु इस "अनन्तिम सूची" में अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग द्वारा रिक्त पदों के सापेक्ष किया जायेगा।

(ख) आशुलेखन एवं टंकण परीक्षा के मानक :

(1) आशुलेखन परीक्षा :–(i) हिन्दी आशुलेखन परीक्षा के लिए 5 मिनट का समय निर्धारित होगा।(ii) हिन्दी आशुलेखन के टंकण हेतु 30 मिनट का समय निर्धारित होगा। (iii)हिन्दी आशुलेखन परीक्षा मे **न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति** प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(2) टंकण परीक्षा :–

टंकण परीक्षा हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पृथक–पृथक ली जायेगी। शब्दों की गणना 05 मिनट की टंकण परीक्षा के आधार पर की जायेगी। टंकण परीक्षा कम्प्यूटर पर ली जायेंगी।हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण परीक्षाओं में न्यूनतम 40–40 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

नोट :– हिन्दी आशुलेखन मे 80 शब्द प्रति मिनट या इससे अधिक की गति प्राप्त करने वाले तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण में 40–40 शब्द प्रति मिनट या इससे अधिक की गति प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ही चयन के पात्र होगें।

टिप्पणी :–(1)अपर निजी सचिव के पद के लिये वस्तुनिष्ठ परीक्षा का प्रारूप विद्युत सेवा आयोग द्वारा निर्धारित किया जायेगा। (2) लिखित परीक्षा में दो या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक पाने की स्थिति में, उस अभ्यर्थी का नाम ज्येष्ठता सूची मे ऊपर रहेगा जिसकी उम्र अधिक होगी किन्तु अंक एवं उम्र दोनों के समान होने की स्थिति मे टंकण परीक्षा में अधिक गति प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी ज्येष्ठता सूची में ऊपर रहेगा।

(4)- कार्यालय सहायक(श्रेणी–3) (पद कोड –26) :-

¤ **अनिवार्य अर्हतायें :(क)** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि।(ख) कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में **न्यूनतम 40 शब्द प्रति मिनट की गति** अनिवार्य।

¤ **चयन प्रक्रिया :**

(क) लिखित परीक्षा :लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र दो भागों का होगा।

प्रथम भाग :– प्रथम भाग की लिखित परीक्षा में DOEACC के "CCC" स्तर का कम्प्यूटर ज्ञान से सम्बन्धित एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 50 प्रश्न होंगे व प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा। अर्थात यह परीक्षा 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जायेगी।प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी को अर्ह न मानते हुये उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

द्वितीय भाग :– लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग में वस्तुनिष्ठ प्रकार के निम्नलिखित प्रश्न पत्र होगें, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जायेगी।

प्रश्न पत्र	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक
सामान्य अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान	50	50
सामान्य हिन्दी	50	50
सामान्य अंग्रेजी	50	50
	कुल अंक	150

द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों के आधार पर ही टंकण परीक्षा में प्रतिभाग लेने हेतु अभ्यर्थियों की "अनन्तिम सूची" (Tentative List) तैयार की जायेगी, अर्थात ज्यादा अंक पाने वाला अभ्यर्थी अपने से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी से श्रेष्ठता सूची में ऊपर होगा। कम्प्यूटर ज्ञान के प्रश्न पत्र में अर्जित अंक श्रेष्ठता निर्धारण हेतु जोड़े नहीं जायेंगे।

टंकण हेतु इस "अनन्तिम सूची" में अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग द्वारा रिक्त पदों के सापेक्ष किया जायेगा।

(ख) टंकण परीक्षा :–उपरोक्तानुसार तैयार की गयी "अनन्तिम सूची" के अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर पर 05 मिनट की हिन्दी टंकण परीक्षा में प्रतिभाग लेना होगा तथा इस टंकण परीक्षा में **न्यूनतम 40 शब्द प्रति**

विद्युत सेवा आयोग उ०प्र० पावर कॉरपोरेशन लि० 2016

मिनट की गति प्राप्त न करने वाले अभ्यर्थियों का नाम "अनन्तिम सूची" से हटाते हुए जो सूची तैयार होगी, उसमें से रिक्तियों के आधार पर श्रेष्ठता क्रम में अभ्यर्थियों को अन्तिम रूप से चयनित कर लिया जायेगा।

(5)- **कार्यालय सहायक(श्रेणी–3)लेखा (पद कोड –27) :–**

¤ **अनिवार्य अर्हतायें :(क)** भारत में केन्द्र/राज्य सरकार के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि।(ख) कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में **न्यूनतम 40 शब्द प्रति मिनट की गति** अनिवार्य।

¤ **चयन प्रक्रिया :**

(क) लिखित परीक्षा :लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र दों भागों का होगा।

प्रथम भाग :–प्रथम भाग की लिखित परीक्षा में DOEACC के "C" स्तर का कम्प्यूटर ज्ञान से सम्बन्धित एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 50 प्रश्न होंगे व प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा। अर्थात यह परीक्षा 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जायेगी। **प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा** अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी को अर्ह न मानते हुये उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

द्वितीय भाग :–लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग में वस्तुनिष्ठ प्रकार के निम्नलिखित प्रश्न पत्र होगें, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जायेगी।

प्रश्न पत्र	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक
अंकगणित	25	25
सामान्य हिन्दी एवं सामान्य अंग्रेजी	50	50
एकाउन्टेंसी एवं सामान्य बुक कीपिंग	75	75
	कुल अंक	150

द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों के आधार पर ही टंकण परीक्षा में प्रतिभाग लेने हेतु अभ्यर्थियों की "अनन्तिम सूची" (Tentative List) तैयार की जायेगी, अर्थात ज्यादा अंक पाने वाला अभ्यर्थी अपने से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी से श्रेष्ठता सूची में ऊपर होगा। कम्प्यूटर ज्ञान के प्रश्न पत्र में अर्जित अंक श्रेष्ठता निर्धारण हेतु जोड़े नही जायेंगे।टंकण हेतु इस "अनन्तिम सूची" में अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग द्वारा रिक्त पदों के सापेक्ष किया जायेगा।

(ख) टंकण परीक्षा :– उपरोक्तानुसार तैयार की गयी "अनन्तिम सूची" के अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर पर 05 मिनट की हिन्दी टंकण परीक्षा में प्रतिभाग लेना होगा तथा इस टंकण परीक्षा में **न्यूनतम 40 शब्द प्रति मिनट की गति** प्राप्त न करने वाले अभ्यर्थियों का नाम "अनन्तिम सूची" से हटाते हुए जो सूची तैयार होगी, उसमें से रिक्तियों के आधार पर श्रेष्ठता क्रम में अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया जायेगा।

(6)- विभागीय आशुलिपिकों से अपर निजी सचिव **(पद कोड –25D) :–**

¤ अनिवार्य अर्हतायें :

(क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि ।

(ख) उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लि० एवं वितरण कम्पनियों में कार्यरत आशुलिपिक के पद पर न्यूनतम 3 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की हो।

¤ **चयन प्रक्रिया :**

(क) लिखित परीक्षा : लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र दों भागों का होगा।

प्रथम भाग :– प्रथम भाग की लिखित परीक्षा में DOAECC के "O" स्तर का कम्प्यूटर ज्ञान से सम्बन्धित एक प्रश्न पत्र होगा जिसमे वस्तुनिष्ठ प्रकार के 50 प्रश्न होगें व प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा।अर्थात यह परीक्षा 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जायेगी।प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी को अर्ह न मानते हुये उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नही किया जायेगा।

द्वितीय भाग :–लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग मे वस्तुनिष्ठ प्रकार के निम्नलिखित प्रश्न पत्र होगें जिसमें प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जायेगी।

प्रश्न पत्र	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक
सामान्य अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान	50	50
सामान्य हिन्दी एवं व्याकरण(इण्टरमीडिएट स्तर)	50	50

विद्युत सेवा आयोग उ०प्र० पावर कॉरपोरेशन लि० 2016

सामान्य अंग्रेजी(इण्टरमीडिएट स्तर)	50	50
	कुल अंक	**150**

द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों के आधार पर ही आशुलिपि(Shorthand) एवं टंकण(Typing) परीक्षा में प्रतिभाग लेने हेतु अभ्यर्थियों की "अनन्तिम सूची" (Tentative List) तैयार की जायेगी, अर्थात ज्यादा अंक पाने वाला अभ्यर्थी अपने से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी से श्रेष्ठता सूची में ऊपर होगा। कम्प्यूटर ज्ञान के प्रश्न पत्र में अर्जित अंक श्रेष्ठता निर्धारण हेतु जोड़े नही जायेंगे।

आशुलेखन एवं टंकण परीक्षा हेतु इस "अनन्तिम सूची" में अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग द्वारा रिक्त पदों के सापेक्ष किया जायेगा।

(ख) आशुलेखन एवं टंकण परीक्षा के मानक :

(1) आशुलेखन परीक्षा :–(i) हिन्दी आशुलेखन परीक्षा के लिए 5 मिनट का समय निर्धारित होगा।(ii) हिन्दी आशुलेखन के टंकण हेतु 30 मिनट का समय निर्धारित होगा। (iii)हिन्दी आशुलेखन परीक्षा मे **न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति** प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(2) टंकण परीक्षा :–

टंकण परीक्षा हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पृथक–पृथक ली जायेगी। शब्दों की गणना 05 मिनट की टंकण परीक्षा के आधार पर की जायेगी। टंकण परीक्षा कम्प्यूटर पर ली जायेंगी।हिन्दी एवं अंग्रेजी की टंकण परीक्षाओं में **न्यूनतम 40–40 शब्द प्रति मिनट की गति** प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

नोट :– हिन्दी आशुलेखन मे 80 शब्द प्रति मिनट या इससे अधिक की गति प्राप्त करने वाले तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण में 40–40 शब्द प्रति मिनट या इससे अधिक की गति प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ही चयन के पात्र होगें।

टिप्पणी :–(1) अपर निजी सचिव के पद के लिये वस्तुनिष्ठ परीक्षा का प्रारूप विद्युत सेवा आयोग द्वारा निर्धारित किया जायेगा। (2) लिखित परीक्षा में दो या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक पाने की स्थिति मे, उस अभ्यर्थी का नाम ज्येष्ठता सूची मे ऊपर रहेगा जिसकी उम्र अधिक होगी किन्तु अंक एवं उम्र दोनों के समान होने की स्थिति मे टंकण परीक्षा में अधिक गति प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी ज्येष्ठता सूची मे ऊपर रहेगा।

(7)- विभागीय कर्मचारियों हेतु परीक्षा द्वारा सहायक लेखाकार के पद पर श्रेणीवार रिक्तियाँ (पद कोड –21D) :–

निम्न विभागीय अभ्यर्थी उक्त पद हेतु आवेदन करने के लिये अर्ह होंगें।

(i) कार्यालय सहायक(श्रेणी–3)लेखा के पद पर न्यूनतम 5 वर्ष की अनवरत सेवा।

(ii) लेखा लिपिक(एकाउन्ट्स क्लर्क) के पद पर न्यूनतम 3 वर्ष की अनवरत सेवा।

(iii) उ०प्र० पावर कॉरपोरेशन लि० के वे कार्यालय सहायक(श्रेणी–3), जिन्हें कॉरपोरेशन में न्यूनतम 5 वर्ष का लेखा कार्य करने का अनुभव हो तथा **वाणिज्य में स्नातक** हो।

¤ चयन प्रक्रिया :

(क) लिखित परीक्षा : लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र दों भागों का होगा।

प्रथम भाग :– प्रथम भाग की लिखित परीक्षा में DOAECC के "O" स्तर का कम्प्यूटर ज्ञान से सम्बन्धित एक प्रश्न पत्र होगा जिसमे वस्तुनिष्ठ प्रकार के 50 प्रश्न होगें व प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा।अर्थात यह परीक्षा 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जायेगी।प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी को अर्ह न मानते हुये उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नही किया जायेगा।

द्वितीय भाग :–लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग मे वस्तुनिष्ठ प्रकार के निम्नलिखित प्रश्न पत्र होगें जिसमें प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जायेगी।

प्रश्न पत्र	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक
सामान्य ज्ञान	25	25

विद्युत सेवा आयोग • उ०प्र० पावर कॉरपोरेशन लि० • 2016

अंकगणित(दसवीं स्तर का)	50	50
बुक कीपिंग एवं एकाउन्टेंसी(कॉरपोरेशन से सम्बन्धित)	75	75
कुल अंक		**150**

(8)- अनिवार्य अर्हतायें सम्बन्धी प्रमाण पत्रों का प्रस्तुतीकरण :—

अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में अस्थायी रुप से (provisionally) सम्मिलित किया जायगा। अभ्यर्थियों को मात्र लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने से अर्हता साबित होने अथवा चयन का अधिकार स्वतः प्राप्त नही हो जायेगा। लिखित परीक्षा के आधार पर शार्टलिस्टेड अभ्यर्थियों के अर्हता सम्बन्धी अभिलेखों की जॉच निर्धारित सूचित तिथि पर बाद में की जायेगी।

(क) अभ्यर्थियों द्वारा अर्हता सम्बन्धी निर्धारित योग्यता प्रमाण पत्र/अंकपत्र/जाति प्रमाण पत्र/मूल निवास प्रमाण पत्र/ भूतपूर्व सैनिक(यथा उत्तर प्रदेश के शासनादेश में परिभाषित एवं जिन्होंने सेना में कम से कम 05 वर्ष की सेवा की हो) प्रमाण पत्र /आवेदित आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण पत्र इत्यादि (जो अप्रासंगिक हों उन्हें छोड़कर) की एक—एक स्वयं सत्यापित एवं हस्ताक्षरित छायाप्रति दक्षता परीक्षा के समय जमा करायी जायेगी। लिखित परीक्षा एवं दक्षता परीक्षा(टंकण/आशुलेखन) को उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के ही अर्हता सम्बन्धी सभी प्रमाण पत्रों की जॉच की जायेगी।

(ख) किसी भी प्रकार की गलत सूचना प्राप्त होने/देने पर, बिना सूचना के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थन निरस्त करने एवं चयन प्रक्रिया से वंचित करने का अधिकार सुरक्षित है।

(9)आयु में अनुमन्य छूट : (क) अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन—क्रीमीलेयर) एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित श्रेणी के अभ्यर्थियों को, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है, को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष छूट अनुमन्य होगी। (ख) भूतपूर्व सैनिक(यथा उत्तर प्रदेश के शासनादेश में परिभाषित एवं जिन्होंने सेना में कम से कम 05 वर्ष की सेवा की हो) को अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा सेना में की गयी पूर्ण वर्षों की सेवा की अवधि में तीन वर्ष जोड़ते हुए छूट अनुमन्य होगी। (ग) विकलांग अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्षों की छूट अनुमन्य होगी।

(10) आरक्षण :— **अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों, तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण उ०प्र०शासन द्वारा इस सम्बन्ध में समय—समय पर जारी होने वाले, कॉरपोरेशन द्वारा अंगीकृत शासनादेशों मे निहित प्राविधानों के अनुसार लागू होगें।** अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर अनूसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों का चयन नियमानुसार किया जायेगा।भूतपूर्व सैनिक (यथा उत्तर प्रदेश के शासनादेश में परिभाषित एवं जिन्होंने सेना में कम से कम 05 वर्ष की सेवा की हो) को नियमानुसार रिक्तियों का 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा। (ग) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित को नियमानुसार रिक्तियों का 2 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा।विकलांग अभ्यर्थियों को नियमानुसार रिक्तियों का 3 प्रतिशत,क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा। **सहायक समीक्षा अधिकारी** के पद हेतु केवल विकलांगता श्रेणी OA/OL /PB /PD ही मान्य होगा तथा **सहायक लेखाकार** के पद हेतु विकलांगता श्रेणी OA/OL ही मान्य होगा। **आरक्षण का लाभ लेने के लिये अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी जो उ०प्र० के मूल निवासी नहीं है, सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत ही आवेदन करें।**

(11) अनापत्ति प्रमाण पत्र : यदि कोई अभ्यर्थी किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में कार्यरत है तो उसे नियुक्ति के समय अपने विभागाध्यक्ष द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है ।

(12) आवेदन शुल्क : सभी पदों के लिये आवेदन शुल्क सामान्य एवं 'अन्य पिछड़ा वर्ग(नॉन—क्रीमीलेयर) 'के अभ्यर्थी हेतु रु० 1000/— तथा अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हेतु रु० 700/— देय है। विकलांग अभ्यर्थियों द्वारा केवल प्रक्रमण शुल्क रु० 10/— देय है।

(13)हिन्दी टंकण ,अंग्रेजी टंकण एवं आशुलिपि की दक्षता परीक्षा :विभिन्न पदों हेतु निर्धारित दक्षता परीक्षा के अन्तर्गत कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण केवल Mircosoft Word-2007 में Font:Kruti Dev-010/016 तथा Font Size:14/16 में ली जायेगी ।

(14)आवेदन कैसे करें : वेबसाइट www.uppcl.org को खोलें एवं टैब "APPLY ONLINE AGAINST ADVT NO.- 1—विसेआ/2016/बैकलॉग भर्ती एवं सामान्य भर्ती " पर क्लिक करें तथा नये वेबपेज पर How to Apply पर क्लिक कर प्रक्रिया को समझे।

(15)प्रवेश पत्र : लिखित परीक्षा तथा दक्षता परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये रजिस्टर्ड ई—मेल पर उपलब्ध कराया जायेगा।

विद्युत सेवा आयोग उ०प्र० पावर कॉरपोरेशन लि० 2016

आवेदन सम्बन्धी पूछताछ हेतु **esc.helpdesk2016@gmail.com** पर सम्पर्क किया जा सकता है। सभी पत्राचार आवेदन पत्र में भरे गये पत्राचार के पते पर ही किये जायेंगे। उपर्युक्त विज्ञापन बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

महत्वपूर्ण तिथियाँ

विवरण	तिथि
ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने एवं आवेदन शुल्क जमा की तिथियाँ	05-04-2016 से 05-05-2016

सचिव
विद्युत सेवा आयोग

सं0 346/विसेआ/1–विसेआ–2016/बैकलाग भर्ती एवं सामान्य भर्ती   दिनांक 22.03.2016

विद्युत सेवा आयोग
2016
उ०प्र० पावर कॉरपोरेशन लि०